

राजस्व वाद संख्या:- 84/2021 अनवान् गुड्डी देवी बनाम हनुमान आदि

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आरएएस

राजस्व वाद संख्या :- 84/2021

1. गुड्डी देवी पत्नी अर्जुनराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मांगीलाल दत्तक पुत्र अर्जुनराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

—:बनाम:-

1. हनुमान पुत्र खिराजराम
 2. सरस्वती देवी पत्नी साहबराम
 3. रणवीर पुत्र साहबराम
 4. महावीर पुत्र साहबराम
 5. अमनदीप कुमार पुत्र रणजीतराम
 6. धीरेन्द्र कुमार पुत्र रणजीतराम
 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा
- जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि. :-

—: निर्णय :-

दिनांक :-

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 14 की ओर श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री चैनसिंह शेखावत अधिवक्ता और प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अंतिम डिक्री की जाती है कि तहसीलदार पीलीबंगा के विभाजन प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-


1. गुड्डी पत्नी अर्जुनराम 1.645 हैक्ट. मांगीलाल दत्तक पुत्र अर्जुनराम 0.180 हैक्ट. जाति जाट साकिन खोथावाली खातेदार

चक 34 एमओडी प.नं. 31/257 किला नं. 16 ता 20/1.265, 21/0.013(पश्चिमी दिशा), प.नं. 32/257 किला नं. 14-15/0.506, 13/0.041(पूर्वी) = 0.547 हैक्ट. कुल 1.825 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला

2. अमनदीप कुमार पुत्र रणजीतराम 0.541 हैक्ट. धीरेन्द्र कुमार पुत्र रणजीतराम 0.541 हैक्ट. महावीर पुत्र साहबराम 0.722 हैक्ट. रणवीर पुत्र साहबराम 0.722 हैक्ट. सरस्वती देवी पत्नी साहबराम 0.722 हैक्ट. हनुमान पुत्र खिराजराम 0.341 हैक्ट. जाति जाट साकिन खोथावाली खातेदार

चक 34 एमओडी प.नं. 31/257 किला नं. 21/0.240 (पूर्वी), 22/0.101 = 0.341 हैक्ट. प.नं. 32/257 किला नं. 11-12/0.506, 13/0.212(पश्चिमी) , 16 ता 25/2.53 = 3.248 हैक्ट. कुल 3.589 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन

उक्तानुसार पक्षकारों का खाता विभाजन किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने,


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्व वाद संख्या:- 84/2021 अनवान् गुड्डी देवी बनाम हनुमान आदि
धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा में
उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा
भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें
किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 08/08/2024 को
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिताभ बिड़ना) कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा